by bringing them on par with similar ranking offcials in other services; and

(d) if not, the reasons therfor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AN PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI R. JANARTHANAN): (a) Assistants' grade is one of the four grades of the Central Secretariat Service (CSS), namely, the Selection Grade, Grade I, Section Officer, and Assistants.

(b) to (d) Representations have been received from the CSS Forum etc. for granting to the Assistants the pay scale of Ri. 6500—10500/ corresponding to the pre-revised pay scale of Rs. 2000—320(y-, on the analogy of similarly situated officials of some other Services. The demand for the aforesaid pre-revised pay scale was not recommended by the Fifth Central Pay Commission. At present, there is no proposal under consideration to revise the pay scale of Rs. 5500—9000^- sanctioned for the Assistants on the recommendations of the Pay Commission.

अन्य पिछड़ी जातियों के लिए रिक्त पड़े पद

3305.**चौधरी हरमोहन सिंह यादव**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंडल आयोग की सिफारिशों के श्रेणी-वार कार्यन्वयन के उपरान्त अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत कोटे के अंतर्गत राज्य-वार और संघ राज्य-वार कुल कितने लोगों को नौकरियां दी गई हैं;

(ख) आरक्षण के स्तर के अनुसार प्रत्येक श्रेणी में कुल कितने पद सृजित किए जाने की आवश्यकता है और गत दो वर्षों के दौरान कितने पद सृजित किए गए तथा कुल कितने पद अभी भी रिक्त पड़े हैं;

(ग) इन पदों के कब तक भरे जाने की संभावना है; और

(घ) भविष्य में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नीति को पूर्णरुपेण कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त (बैंकिंग, राजस्व और बीमा) मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.जनार्दनन): (क) इस संबंध में राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार सूचना, केन्द्रीयकृत रुप से नहीं रखी जाती।

(ख) और (ग) अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण मुहैया करवाने के क्रम में पदों का अलग सृजित किया जाना अपेक्षित नहीं है। केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत अखिल भारतीय आधार पर खुली प्रतियोगिता के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भेरे जाने के लिए अपेक्षित सभी श्रेणियों में मौजूद पदों के 27% पद अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित हैं।

(घ) इस बारे में जारी किए गए अनुदेशों में ऊपरी आयु-सीमा में ढील दिए जाने, निर्धारित मानदण्डों में ढील देकर भर्ती किए जाने और अनारक्षण पर प्रतिबंध लगाए जाने आदि से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। सभी मंत्रालयों/विभागों से यह अनुरोध किया गया है कि वे आरक्षित पद उसी वर्ष में ही भरने का हर संभव प्रयास करें, जिस वर्ष में उनका भारा जाना अपेक्षित हो।

Travelling Allowance and LTC Facilities For Pensioners

3306. SHRI S. NIRAIKULATHAN:
SHRI. P. PRABHAKAR REDDY:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that pensioners have been representing at the various for a for the grant of Medical allowance. Travelling allowance and also LTC once in two years like the in-service officers to enable them to discharge their pressing obligations;

(b) if so, whether Government would consider these demands sympathetically so that the senior citizens are not left in the woods at the fag end of their lives; and

(c) whether Government would extend this facility to the retired employees during the current financial year itself as a bonus during the golden jubilee year?